बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक– /पटना, दिनांक–
सं0सं0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/2018
प्रेषक,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वाराः– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :–राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लियें मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत इस योजना हेतु प्रोत्साहन राशि रू0 102.50 करोड़ (एक सौ दो करोड़ पचास लाख रुपये) की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत इस योजना हेतु प्रोत्साहन राशि रू0 102.50 करोड़ (एक सौ दो करोड़ पचास लाख रुपये) की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा स्व–रोजगार हेतु बैंकों के द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिये कोलेट्रॉल सेक्युरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी हेतु राशि नहीं रहने के कारण संबंधित प्रक्षेत्र के लाभुकों का ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत संबंधित प्रक्षेत्र के युवा एवं युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 5.00 (पाँच) लाख ब्याज मुक्त ऋण तथा 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 5.00 (पाँच) लाख विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई रू0 25,000/– (पचीस हजार रुपये) की दर से व्यय किया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा की जायेगी।

3. इस योजनान्तर्गत लाभुकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन बिहार स्टार्ट अप फंड ट्रस्ट को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त समिति द्वारा परियोजना के लिए राशि का मूल्यांकन उद्यमी की आवश्यकताओं को देखते हुए की जायेगी एवं आवश्यक राशि स्वीकृत की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजना की प्रथम किस्त के रूप में रू0 102.50 करोड़ (एक सौ दो करोड़ पचास लाख रुपये) विमुक्त किया जा रहा है। आवेदकों की संख्या में वृद्धि के अनुसार इस योजनान्तर्गत समुचित राशि का उपबंध किया जायेगा।

4. इस योजना के अन्तर्गत केवल नये उद्योगों के लिए लाभ देय होगा। इन इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का लाभ देय होगा।

5. इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की विमुक्ति तीन चरणों में की जायेगी। प्रथम किस्त का भुगतान परियोजना स्वीकृति के उपरान्त 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) किया जायेगा। उद्यमी द्वारा भूमि की व्यवस्था तथा शेड का निर्माण के उपरांत द्वितीय किस्त परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 5.00 (पाँच) लाख विमुक्त किया जायेगा। उद्यमी द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी की स्थापना एवं प्रथम तथा द्वितीय किस्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरांत शेष अनुदान के रूप में 25 प्रतिशत राशि अधिकतम रु0 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) का भुगतान किया जायेगा।

6. इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रु0 10.00 लाख का 50 प्रतिशत ब्याज रहित ऋण स्वीकृत की जायेगी तथा इसकी वसूली बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। प्रथम किस्त परियोजना स्वीकृति के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त देय होगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई रू0 25,000/– के दर से व्यय किया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

7. प्रस्तावित राशि का व्यय (I) मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80– सामान्य, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष– 0102–इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड–23–2852807890102, विषय शीर्ष–0102.31.06, सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में रु0 16.00 करोड़ बजट उपबंध में उपबंधित राशि में से रु0 2,33,75,000 एवं

मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–08– उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0101–आर्थिक सहायता, विपत्र कोड–23– 2852087960101, विषय शीर्ष–0101.31.06, सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में रु0 3.00 करोड़ बजट उपबंध में उपबंधित राशि में से रु0 16,25,000 की जायेगी।

(II) मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80– सामान्य, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष– 0101–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रख रखाव बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड–23–2852807890101, विषय शीर्ष–0101.27.01 लघु कार्य मद में रु0 26.35 करोड़ एवं मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80– सामान्य, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष– 0105–प्री प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड–23–2852807890105, विषय शीर्ष–0105. 33.01 सब्सिडी मद में रु0 15.00 करोड़ अर्थात कुल रु0 41.35 करोड़ बजट उपबंध में उपबंधित राशि एवं

मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80– सामान्य, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0123–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत सुविधाओं का सृजन, विकास एवं रख रखाव बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड–23–2852807960123, विषय शीर्ष–0123.27. 01 लघु कार्य मद में रु0 1.08 करोड़ एवं मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष– 0122–प्री प्रोडक्शन एवं प्रोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड–23–2852807960122, विषय शीर्ष–0122.33.01 सब्सिडी मद से रु0 25.00 लाख अर्थात कुल रु0 1.33 करोड़ बजट उपबंध में उपबंधित राशि से की जायेगी।

शेष राशि का उपबंध विभागीय उद्व्यय के अंतर्गत आंतरिक सामंजन से प्रस्तावित है।

8. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना होगें, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से एकमुश्त राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/RTGS द्वारा बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट को उपलब्ध करायेंगे, जिसका व्यय **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना** में निर्धारित प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी, निदेशक, तकनीकी विकास, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा राशि की उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना को भेजते हुए इसकी एक प्रति विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

10. इस राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 दिनांक 20.05.2014 के अनुरूप की जायेगी।

11 प्रस्ताव में दिनांक 15.05.2018 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मंद संख्या–07 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

12. राज्यादेश में संचिका संख्या–4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/2018 के पृष्ट–21/टि0 पर दिनांक 29.05.18 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि (2), दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि (2) दिनांक 17.04.1998 के कंडिका–2, पत्रांक–2938 वि (2) दिनांक 08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनश्चित किया जाएगा।

14. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– /पटना, दिनांक–
सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018
प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– /पटना, दिनांक–
सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018
प्रतिलिपिः– विकास आयुक्त, बिहार, पटना के विशेष कार्यपदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– /पटना, दिनांक–
सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018
प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक (तक0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में)/उप निदेशक (तक0), स्टार्टअप प्रभारी, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 922 /पटना, दिनांक– 06.06.18
सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018
प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा–1 (सरकार) योजना, उद्योग विभाग/योजना शाखा, उद्योग विभाग को 05 अतिरिक्त प्रतियों में/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/6/2018
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(9)